:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म0प्र0) ::

क्रमांक 551 /री0ए0डी0एम0/2025 इन्दौर, दिनांक 28/05/2025

:: आ दे श ::

(भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163)

(100 रूपये व उससे अधिक की अचल सम्पत्ति की नोटरी किये जाने को रोकन हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश)

प्रायः यह देखने में आता है कि कुछ लोगों द्वारा अचल सम्पत्ति को रजिस्ट्री के आधार पर क्रय-विक्रय न करते हुवे, नोटरी के आधार पर क्रय-विक्रय कर लिया जाता है। इस प्रकार के छल-कपट में भोली-भाली जनता, जिन्हें नियम कानूनों का ज्ञान नहीं है फंस जाते है, धोखाधड़ी का शिकार होते है तथा बाद में परेशांनी उठाते है। इस प्रकार के नोटरी के आधार पर पंजीकृत दस्तावेजों का कोई कानून अस्तित्व नहीं होने से अनावश्यक कठिनाईयां पैदा होती है। कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति अपनी जीवन की पूरी कमाई या कर्ज आदि लेकर अचल सम्पत्ति क्रय करते है तथा उसकी विधिवत् रजिस्ट्री न करवाते हुवे पैसे बचाने के लालच में नोटरी के आधार पर अचल सम्पत्ति क्रय कर लेते है, जिससे एक तरफ शासन को राजस्व की हानि होती है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के दस्तावेजों का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होने से क्रेता का कोई स्वामित्व भी निर्धारित नहीं होता है। साथ में इससे अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा मिलता है, जहां किसी भी प्रकार की अधोसंरचना न होने के कारण जन-आक्रोश की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही स्वामित्व संबंधी कानूनी विवाद बढ़ने के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की आशंकाए बनी रहती है।

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17(1) (बी) के अनुसार अचल सम्पत्ति में या उस पर सौ रूपये या उससे अधिक मूल्य के किसी अधिकार, शीर्षक या हित को बनाने, घोषित करने, सौंपने, सीमित करने या समाप्त करने वाले उपकरणों के पंजीकरण की आवश्यकता होती है। यह धारा विशेष रूप से उन दस्तावेजों को पंजीकृत करने की आवश्यकता को संबोधित करती है जो अचल सम्पत्ति को प्रभावित करते है, विशेष रूप से वे जो 100/- रूपये या उससे अधिक मूल्य के अधिकारों, शीर्षकों या हितों से संबंधित है। अतः पंजीकरण नियमों में स्पष्ट है कि 100 रूपये व उससे अधिक की किसी भी अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय हेतु केवल विधिवत् रजिस्ट्री ही मान्य है, नोटरी किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है।

District Magistrate
District Indore (M.P.)

अतः विधिक प्रावधानों एवं शासकीय निर्देशों का पालन कराने हेतु इन्दौर जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत रूपये 100/- व उससे अधिक की अचल सम्पत्ति की नोटरी किये जाने से जन-सामान्य को उत्पन्न होने वाली परेशानियों की रोकथाम एवं अवांछनीय गतिविधियों का निवारण अत्यन्त आवश्यक होने से मैं **आशीष सिंह, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163(1)(2) के तहत् निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

इन्दौर जिले में रूपये 100/- व उससे अधिक की अचल सम्पत्ति की नोटरी किये जाने को प्रतिबंधित किया जाता है। यदि किसी नोटरी द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही करने के साथ ही नोटरी लायसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जावेंगी।

सभी वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक/वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक, जिला इन्दौर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस के थाना प्रभारी, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, उक्त आदेश का पालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित् करेंगे।

चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को सम्बोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163(2) के तहत एकपक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति/आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163(5) के तहत मुझे प्रस्तुत कर सकेगा।

जो भी व्यक्ति अथवा संगठन उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेंगी।

यह आदेश दिनांक 28/05/2025 से दिनांक 25/07/2025 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 28/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(आशीष सिंह)
District Magistrate
District Indore (M.P.)
कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

पृ0क्रमांक /552/टी.ए.डी.एम./2025 इंदौर, दिनांक 28/03/2025

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
2. पुलिस आयुक्त, नगरीय इन्दौर।
3. अति0 पुलिस आयुक्त, क्राईम-मुख्यालय/कानून व्यवस्था, इन्दौर।
4. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/जोन-1,2,3,4/आसूचना एवं सूरक्षा, मुख्यालय, जिला इन्दौर।
5. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला इन्दौर।
6. अपर कलेक्टर /अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (समस्त) इन्दौर ।
7. अति0 पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/जोन-1,2,3,4/आसूचना एवं सूरक्षा, मुख्यालय, जिला इन्दौर।
8. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक/वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक(समस्त) जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
9. संयुक्त संचालक, सूचना एंव प्रकाशन विभाग इन्दौर की ओर समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित ।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी ....जिला इन्दौर
11. सहायक पुलिस आयुक्त, ...नगरीच पुलिस, इन्दौर।
12. एस.डी.ओ.पी. पुलिस डॉ अम्बेडकर नगर (महू), सांवेर, देपालपुर, जिला इन्दौर।
13. थाना प्रभारी थाना ....की ओर सूचनार्थ एंव पालनार्थ।
14. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी, कलेक्टोरेट इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
15. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रुम, नगरीय इन्दौर।
16. सर्व संबंधित .... की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर एवं,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate
District Indore (M.P.)